


11.03.2020

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली अवलोकन किया गया। मूल अपील में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन की प्रति नहीं होने से अपील अपूर्ण पेश की गयी है। अपीलार्थी को प्रथम आवेदन की प्रति उपलब्ध कराने हेतु न्यायालय हाजा के रजिस्टर्ड पत्रांक कोर्ट/एडीएमप्रथ/20/106 दि० 13.02.20, 119 दि० 20.02.20 एवं 148 दि० 04.03.20 के माध्यम से लिखा गया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक प्रथम आवेदन की प्रति पेश नहीं की गयी है। अतः अपील में प्रथम आवेदन की प्रति नहीं होने के अभाव में अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। उक्त आलोक में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(प्रथम) अलवर (राज०)